

समाहरणालय, मधेपुरा

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक- 35-7/सा0सु0को0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
ग्वालपाड़ा, पुरैनी।

दिनांक- 21 जनवरी, 2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (सामान्य घटक) में पेंशनधारियों को तृतीय किस्त नगद पेंशन भुगतान हेतु कुल रु0-30,000=00 (तीस हजार) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार- पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-ई0गा0रा0नि0पे0-13/2013-स0क0-106 पटना, दिनांक-15/01/2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729 दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं0-1001 दिनांक-14.05.2013 के आलोक में पेंशनधारियों को तृतीय किस्त नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रु0 30,000=00 (तीस हजार) रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

2- उपावंटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उप-शीर्ष-0102-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, विशय शीर्ष-31-06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-P-2235031010102 तथा स्कीम कोड-WEL-5499 से विकलनीय होगा।

3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।


4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।

5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन


20/1/14
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (सामान्य धटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार तृतीय उपावंटन तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व उपावंट राशि	वर्तमान में उपावंट राशि	कुल उपावंट राशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	13	35100	0	35100
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	12	32400	0	32400
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	20	36000	0	36000
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैलाढ़	18	32400	0	32400
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	4	10800	0	10800
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	10	27000	0	27000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	21	37800	0	37800
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	375	182100	0	182100
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	15	27000	15000	42000
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	112	201600	0	201600
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	0	0	0	0
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	42	88200	0	88200
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	17	30600	15000	45600
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	0	6000	0	6000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	0	0	0	0
	कुल योग :-	659	747000	30000	777000

मो० (तीस हजार रुपये मात्र)

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।